न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—199 / 2024 / 225 आर.टी.एक्ट (2024 / 199)

1. रामदेव पुत्र काना, जाति तेली, निवासी ग्राम जूनिया, तहसील केकडी, जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. राजेन्द्र चौधरी पुत्र बिरमा जाट निवासी नून्दडा तहसील मकराना, जिला नागौर।
2. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार, केकडी जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.07.2024 राजस्व वाद संख्या 23 / 2023 (2023 / 397)

उपस्थितः—

1. श्री शिवप्रकाश चौधरी अभिभाषक अपीलांट
2. श्री सुनील कडवासरा अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 2

निर्णय

दिनांकः— 03.07.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 23 / 2023(2023 / 397) में पारित आदेश दिनांक 22.07.2024 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की उपधारा 1 के अंतर्गत प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किए गए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 12.3.2022 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो अपील संख्या 203 / 2022 बउनवानी रामदेव बनाम राजेन्द्र दर्ज रजिस्टर की गई। राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा उक्त अपील को आंशिक रूप से स्वीकार की गई। तत्पश्चात पत्रावली को दिनांक 20.7.2023 को उपखण्ड अधिकारी, द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अपीलांट की खातेदारी काश्तकारी की आराजी में से रास्ता कायम करने के आदेश दिनांक 22.7.2024 को पारित किए गए। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 23 / 2023(2023 / 397)

में पारित आदेश दिनांक 22.07.2024 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी ने इस महत्त्वपूर्ण बिन्दु की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत अपील संख्या 203/2022 बउनवानी रामदेव बनाम् राजेन्द्र चौधरी निर्णय दिनांक 17.4.2023 में निर्णय पारित करते हुए निम्न आदेश पारित किया गया था "अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 249/21 में पारित आदेश दिनांक 12.3.2022 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी केकडी को प्रति प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विधिक रूप से पेश किया गया है या नहीं तथा क्या चारागाह भूमि खसरा संख्या 1755 में पशुओं को चराने हेतु धारा 251–ए में रास्ता दिया जा सकता है या नहीं स्पष्ट आदेश पारित करते हुए यदि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का प्रार्थना पत्र धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की परिधि में आता है अथवा नहीं एवं अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के सरकारी नियम 69 की पालना सुनिश्चित करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें तथा यदि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रार्थी को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि वह अपने खातेदारी खेत खसरा नम्बर 7169/1159 में कृषि सम्बंधित कार्य करने के लिए आने जाने हेतु यदि कोई रिकार्डेड रास्ता नहीं है तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–ए के तहत आवेदन करने हेतु स्वतंत्र है, पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।" इसके बावजूद उपखण्ड अधिकारी, केकडी ने बिना राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर के आदेश की कोई पालना किये बगैर सरसरी तौर पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में गंभीर विधिक अनियमितता एवं अवैधानिकता कारित करते हुए न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए निर्णय पारित किया है। उपखण्ड अधिकारी केकडी ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर कोई ध्यान नहीं दिया कि न्यायालय द्वारा भी दिनांक 17.4.2023 को अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर देने बाबत स्पष्ट निर्देश प्रदान किये गए थे इसके बवाजूद उपखण्ड अधिकारी, केकडी ने पत्रावली को दिनांक 22.7.2023 को दर्ज कर पक्षकारान के अधिवक्ता को सूचित करने का निर्देश फर्द अहकाम पर पारित किया, इसके बावजूद भी अधिवक्ता को भी कोई नोटिस जारी नहीं किया गया एवं एक तरफा में बिना साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिये बगैर प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के विरूद्ध जाकर एवं न्यायालय के आदेश को दरकिनार करते हुए अपीलांट की खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात में से रास्ता कायम करने का आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है। उपखण्ड अधिकारी, केकडी ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर कोई ध्यान नहीं दिया कि पत्रावली रिमाण्ड होने के पश्चात अपीलांट को न तो कोई नोटिस जारी किया गया न ही अपीलांट के अधिवक्ता श्री हेमराज जी कानावत को कोई नोटिस जारी किया गया इसके बावजूद गैर कानूनी रूप से दिनांक 4.

9.2023 की फर्द अहकाम में अप्रार्थी संख्या 1 को बावजूद सम्मन तामील अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश प्रदान कर दिये गए जो कि पत्रावली पर स्पष्ट रूप से दर्शित है, इसके बावजूद भी अपने में निहित क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर एक पक्ष को लाभ पहुंचाने की गरज से उपरोक्त गैर कानूनी निर्णय पारित किया है। उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि विपक्षी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में विपक्षी ने अपने पालतू जानवरों को ले जाने हेतु रास्ता चाहा गया है। चूंकि धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत लेजिस्लेचर द्वारा सन् 2005 में काश्तकारी कानून में संशोधन करते हुए यह कानून बनाया गया था कि एक खातेदार अपनी खातेदारी की आराजीयात को काश्त करने हेतु रास्ते की मांग कर सकता है बशर्ते अन्य कोई रास्ता उसकी खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात पर काश्त करने के लिए जाने हेतु नहीं हो तब ही धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रास्ता प्राप्त कर सकता है परन्तु उपरोक्त प्रकरण में विपक्षी द्वारा पालतू जानवरों को लाने ले जाने हेतु रास्ता मांगा गया है जो कि धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रथम दृष्टया ही दिये जाने योग्य नहीं था परन्तु गैर कानूनी रूप से बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बगैर दिनांक 13.9.2023 को आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उपरोक्त प्रार्थना पत्र में संशोधन करवाते हुए एक तरफा निर्णय पारित करवा लिया चूंकि उपरोक्त संशोधन प्रार्थना पत्र में अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान नहीं किया गया था। ऐसी स्थिति में एक तरफा में जो निर्णय अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है वह प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के विरूद्ध जाकर पारित किए जाने से प्रथम अपील के माध्यम से काबिल निरस्त किए जाने योग्य है। न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.4.2023 में स्पष्ट रूप से न्यायालय ने यह निर्देश प्रदान किये गए थे कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 69 की पालना की जाकर निर्णय पारित किया जाना अनिवार्य है इसके बावजूद भी सरसरी तौर पर बिना अपीलांट को नोटिस जारी किये बगैर अकेले रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को नोटिस जारी कर मौका रिपोर्ट एक तरफा में मुर्तिब करते हुए निर्णय पारित कर दिया गया जो कि न्यायालय द्वारा पारित किये गए निर्णय दिनांक 17.4.2023 के कतई विपरीत होने से प्रथम दृष्टया ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एक तरफा निर्णय दिनांक 22.7.2024 काबिल निरस्त किए जाने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा बिना अपीलांट को नोटिस जारी किये बगैर सरसरी तौर पर मौका पर्चा मुर्तिब करवा लिया जबकि कानूनन मौका पर्चा बनाते वक्त अपीलांट को नोटिस जारी किया जाना अनिवार्य था। इसी प्रकार उपरोक्त मौका पर्चा बनाते वक्त अन्य कोई गांव के मौतबिरान व्यक्ति भी मौजूद नहीं थे। इस प्रकार विपक्षी ने बाले–बाले ही दुर्भिसन्धी कर मौका पर्चा बनवाकर अपीलांट की खातेदारी भूमि में से रास्ता प्राप्त कर लिया जबकि अपीलांट की खातेदारी आराजीयात के लगवा खसरा नम्बर 1160, 1166, 1170, 1171 एवं 1184 में ग्रेनाइट की खान पर खनन हो रहा है जो कि मैसर्स शिवालिक ग्रेनाइट्स गोल्डन हार्मोनी एवं मैसर्स शिवालिक जरिये पार्टनर खान संचालित की जा रही है। ऐसी स्थिति में विपक्षी दुर्भिसन्धी कर उपरोक्त रास्ते से खनन हेतु डम्पर निकालने के लिए उपरोक्त रास्ते का इस्तेमाल करना चाहते हैं इसलिए कानूनन धारा

251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कॉमर्शियल यूज के लिए धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रास्ता प्रदान नहीं किया जा सकता है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 23/2023(2023/397) में पारित आदेश दिनांक 22.07.2024 को निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी आराजीयात वाके ग्राम जूनिया तहसील केकडी के खाता संख्या नया–पुराना 1307–844 खसरा संख्या 7169/1159 रकबा 0.32 हैक्टर किस्म बारानी 1 में आने जाने हेतु दक्षिणी ओर खसरा नंबर 1159 है जो प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जे स्वामित्व आधिपत्य वाली है इसके पश्चात् पश्चिमी दिशा में खसरा नंबर 1577 है जे चारागाह भूमि है एवं उसके पश्चात आम रास्ता है वादी अपने कब्जे काश्त की आरजीयात पर प्रतिवादी संख्या 1 की आराजीयात खसरा नंबर 1159 की मेड से होते हुये अपनी जोत पर आता जाता है प्रतिवादी संख्या 1 दिनांक 05.12.2021 को वादी के उक्त रास्ते को अवरोध कर धमकी दी कि इस रास्ते पर तुम्हारा किसी प्रकार का कोई अधिकार नही है में तुम्हे भूमि से आने जाने नहीं दूँगा तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड सकते जिससे वादी का अपनी जोत पर आने जाने का संकट उत्पन्न हो गया है जिस खसरा संख्या 1159 की मेढ के लगवा मार्ग को रास्ते के रूप में अभिलेखित किया जाने इस हेतु प्रार्थी न्यायालय में नियमानुसार राशि जमा करवाने हेतु तत्पर एवं तैयार है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की खातेदारी की आरजीयात पर व अपनी जोत पर आने जाने के लिए खसरा नंबर 1159 की मेड पर बने रास्ते को राजस्व रिकोर्ड में करवाने हेतु तहसीलदार केकडी को आदेशित किया जावे इस हेतु प्रार्थी न्यायालय में नियमानुसार राशि जमा करवाने हेतु तैयार एवं तत्पर है तथा प्रतिवादी संख्या 1 को पाबंद किया जावे की उक्त रास्ते की भूमि पर किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करे ना ही उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करे। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। वर्तमान रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी की बहस सुनते हुए व अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद सूचना तामिली अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर एक्सपार्टी की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी आराजीयाता खसरा संख्या 7169/1159 में आने जाने हेतु मौका रिपोर्ट में वर्णितानुसार खसरा संख्या 1159 की मेड से प्रस्तावित रास्ता 76 X 8= 608 वर्गमीटर का सिवायचक गै0मु0 रास्ता दर्ज किए

जाने के आदेश दिए गए। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

उक्त प्रकरण की अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पूर्व में भी प्रस्तुत की जा चुकी है जिसे न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 17.4.2023 को आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को पत्रावली पुनः गुणावगुण पर निर्णय किए जाने हेतु प्रतिप्रेषित की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय को पत्रावली प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिए गए थे कि उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली को दिनांक 20.7.2023 को दर्ज रजिस्टर कर दिनांक 4.9.2023 को अपीलांट के विरूद्ध उपस्थित नहीं होने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान रेस्पोडेंट द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया उपरोक्त प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर उक्त प्रार्थना पत्र में संशोधन कर निर्णय पारित किया है। पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट दिनांक 15.2.2024 बनाते वक्त अन्य कोई गांव के मौतबिरान व्यक्ति भी मौजूद नहीं थे। इस बाबत उक्त मौका रिपोर्ट पूर्णरूप से एकपक्षीय है। पीठासीन अधिकारी द्वारा पूर्व में दिनांक 10.3.2022 की मौका रिपोर्ट के अनुसार 6 मीटर चौडा रास्ता दिया गया था, दूसरी बार निर्णय दिनांक 22.7.2024 की मौका रिपोर्ट दिनांक 15.2.2024 के अनुसार 8 मीटर चौडा रास्ता दिया गया है। पीठासीन अधिकारी को इस बाबत अपने न्यायिक विवेक के अनुसार निर्णय करना चाहिए था। चूंकि पीठासीन अधिकारी ने अपने निर्णय में मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ते की चौडाई ही अंकित की है, जबकि 8 मीटर चौडे रास्ते की आवश्यकता भी है तो उसका विवेचन करते हुए निर्णय पारित करना चाहिए था। जबकि वर्तमान रेस्पोडेंट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में रास्ते की चौडाई बाबत किसी प्रकार की इस्तदुआ नहीं की गई थी फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने स्तर पर ही 8 मीटर चौडाई बाबत आदेश पारित किए गए है। चूंकि अपीलांट द्वारा अपनी अपील के माध्यम से आक्षेप भी लगाए गए हैं कि अपीलांट की खातेदारी आराजीयात के लगवा खसरा नम्बर 1160, 1166, 1170, 1171 एवं 1184 में ग्रेनाइट की खान पर खनन हो रहा है जो कि मैसर्स शिवालिक ग्रेनाईट्स गोल्डन हार्मोनी एवं मैसर्स शिवालिक जरिए पार्टनर खान संचालित की जा रही है। इस कारण खनन हेतु डम्पर निकालने के लिए उपरोक्त रास्ते की आवश्यकता है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 8 मीटर चौडे रास्ते बाबत आदेश पारित किए गए है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में बिना किसी विवेचन के 8 मीटर चौडे रास्ते बाबत किस आधार पर आदेश पारित किए है उनके द्वारा इसका किसी भी प्रकार से कोई स्पष्टीकरण अपने निर्णय में नहीं किया गया है। जो कि न्याय संगत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में विधिक व तकनीकि त्रुटि कारित हुई है, इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय निरस्त किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचनानुसार व अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में विधिक व तकनीकि त्रुटि कारित हुई है, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय खारिज करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 23/2023(2023/397) में पारित आदेश दिनांक 22.07.2024 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि प्रकरण से संबंधित सभी पक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की जाकर उभय पक्षकारान से आपत्ति प्राप्त कर, आपत्ति का निस्तारण करते हुए व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तीनों बिंदुओं यथा रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता, वैकल्पिक मार्ग का अभाव व लघुत्तम मार्ग के बिंदुओं का अनुसारण करते हुए व किस आधार पर 8 मीटर चौडे रास्ते बाबत आदेश पारित किए गए है उसका समुचित विश्लेषण कर पुनः विस्तृत रूप से गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी के समक्ष दिनांक 16.07.2025 को उपस्थित रहने के लिए पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 03.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर